

Participants : [Mahto Shri Tek Lal](#)

>

Title : Need to check displacement of people in Jharkhand due to implementation of various projects in the absence of concrete rehabilitation policy.

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : महोदय, सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृत करते हुए मुझे कहना है कि आज तक झारखंड राज्य के विभिन्न उद्योग धंधों से 65 लाख 50 हजार 972 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें 25 लाख 50 हजार खनिजों के उत्खनन कार्य से, 17 लाख बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से, उद्योगों से 12 लाख, 11 लाख 50 हजार 972 वन्य जीवन संरक्षण अभ्यारण्य एवं अन्य क्षेत्रों से विस्थापित हो गए हैं। राज्य में टाटा आयरन स्टील कम्पनी एवं टाटा ग्रुप की सहयोगी कम्पनी, एच.ई.सी. स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, इ.सी.एल, बीसीसीएल, सीसीएल, बोकारो स्टील प्लांट, तेनुघाट बांध परियोजना तथा वन्य जीवन संरक्षण अभ्यारण्य, नेतरहाट फायरिंग रेंज, अन्य बड़े एवं लघु उद्योग एवं विभिन्न प्रकार की खनन परियोजनाओं के कारण लगभग राज्य के एक हजार से अधिक गांवों को विस्थापित किया गया है। राज्य के कुल आबादी का एक चौथाई विस्थापन का दंश झेल रहा है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विस्थापित हुए लोगों में से 30 प्रतिशत लोगों को ही पुर्नवास एवं नौकरी का लाभ मिला है, शेष 70 प्रतिशत लोगों के बारे में कोई जानकारी न तो केन्द्र सरकार को है, न ही राज्य सरकार को।

अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े व्यापक पैमाने पर विस्थापन हिन्दुस्तान के किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है जितना झारखंड राज्य में, फिर भी झारखंड में राज्य सरकार उद्योग लगाने हेतु लगातार एमओयू पर हस्ताक्षर कर रही है। राज्य के जनता में इससे व्यापक आक्रोश है।

आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि जब तक विस्थापन नीति जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, आर्थिक पुनर्वास और रोजगार की पूर्ण गारंटी नहीं दी जाती है तब तक विस्थापन पर पूर्ण पाबंदी लगायी जाये।